

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: एफ 7(1)(1)पंचा/रानिआ/2019/2292

दिनांक:- 10/7/2019

आदेश

राज्य में माह जनवरी-फरवरी, 2020 में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव सम्पन्न कराये जायेंगे।

संविधान के अनुच्छेद 243k के अनुसार राज्य में पंचायती राज संस्थाओं की मतदाता सूचियाँ तैयार करने तथा चुनावों के संचालन पर पर्यवेक्षण, नियंत्रण, निर्देशन की शक्तियाँ राज्य निर्वाचन आयोग में निहित हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का दायित्व स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने का है। इन निर्वाचनों के संचालन में सरकारी कार्मिकों, विशेषकर संभागीय आयुक्त, जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर, असामाजिक तत्वों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही, अवैध गतिविधियों की रोकथाम एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखने का दायित्व पुलिस प्रशासन का है ताकि निर्वाचनों के दौरान मतदाता बिना किसी दबाव के निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इस प्रकार की कार्यवाही में पुलिस अधिकारीगण रेंज पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, जिला पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक, उपपुलिस अधीक्षक (वृत्ताधिकारी), थानाधिकारी तथा उपनिरीक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण है।

निर्वाचनों के दौरान उपरोक्त वर्णित अधिकारियों की अपने क्षेत्र में भूमिका निष्पक्ष एवं असंदिग्ध होना आवश्यक है। अतः समग्र परिस्थितियों का आंकलन कर राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 243K में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित आदेश जारी करता है—

माह जनवरी-फरवरी, 2020 में राज्य में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के दिन से निर्वाचन समाप्ति तक,

(a) संभागीय आयुक्त, रेंज पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला कलक्टर, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक, उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलक्टर, उपपुलिस अधीक्षक (वृत्ताधिकारी) तथा तहसीलदार अपने गृह जिले में पदस्थापित नहीं रहें,

(b) उपरोक्त खण्ड (a) में वर्णित अधिकारी दिनांक 15.02.2020 को कट ऑफ डेट मानते हुए गतचार वर्षों में तीन वर्ष से अधिक की अवधि में उसी जिले में पदस्थापित नहीं रहे,

(c) थानाधिकारी, नायब तहसीलदार एवं पुलिस उपनिरीक्षक उस पंचायत समिति क्षेत्र में पदस्थापित नहीं रहे जो उनका गृह पंचायत समिति क्षेत्र है, तथा

(d) दिनांक 15.02.2020 को कट ऑफ डेट मानते हुए कोई थानाधिकारी, पुलिस उपनिरीक्षक एवं नायब तहसीलदार उसी पंचायत समिति क्षेत्र में, जहां चुनाव होना है, गत चार वर्षों में तीन वर्ष से अधिक पदस्थापित नहीं रहें।

(e) खण्ड विकास अधिकारी पंचायत समिति उस पंचायत समिति क्षेत्र में पदस्थापित नहीं रहें जो उनका गृह पंचायत समिति क्षेत्र है। साथ ही दिनांक 15.02.2020 को कट ऑफ डेट मानते हुए उक्त अधिकारी उसी पंचायत समिति क्षेत्र में, जहां चुनाव होना है, गत चार वर्षों में तीन वर्ष से अधिक पदस्थापित नहीं रहें।

20/3/

उपरोक्त मापदण्ड के विपरीत यदि कोई अधिकारी पदस्थापित है तो उसे वर्तमान पद से स्थानान्तरित करने की कार्यवाही समय रहते दिनांक 15.11.2019 तक संपन्न कर ली जायें।

मतदाता सूची की तैयारी से जुड़े अधिकारियों (उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार इत्यादि) का स्थानान्तरण पंचायत आम चुनाव वर्ष, 2020 की मतदाता सूची का कार्य प्रारम्भ होने से पूर्ण होने (अंतिम प्रकाशन) तक आयोग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जाये तथा यदि ऐसा कोई स्थानान्तरण मतदाता सूची का कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व कर दिया गया है तो उसकी क्रियान्विति मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन तक स्थगित रखी जावे।

इसके साथ ही चुनाव से सीधे तौर पर जुड़े किसी भी पद पर ऐसे कार्मिक का पदस्थापन नहीं करे जिसके विरुद्ध गत चुनावों में भारत निर्वाचन आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव संबंधी लापरवाही के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये हों।

चुनाव की घोषणा होने के पश्चात निर्वाचन से किसी भी रूप से जुड़े हुए किसी भी कार्मिक का स्थानान्तरण नहीं किया जाये किन्तु विशेष परिस्थितियों में ऐसा किया जाना आवश्यक हो अथवा किसी मामले में राज्य सरकार उपरोक्त मापदण्ड में शिथिलता चाहे तो ऐसे मामले राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति हेतु पूर्ण विवरण के साथ भेजे जायें।

आज्ञा से,

(शुक्ति त्वागी)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांक: एफ 7(1)(1)पंचा/रानिआ/2019/ 2293-2303

दिनांक:- 10/7/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. अध्यक्ष, राजस्व मंडल, राजस्थान, अजमेर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
7. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. निजी सहायक, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर।
9. संभागीय आयुक्त, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर।
10. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), राजस्थान।
11. गार्ड फाईल।

20.7.19
(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव